प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) तोकापाल जिला बस्तर छ0ग0

//अनुशंसा//

प्रति,

श्रीमती गीता विश्वास पति श्री विश्वजीत
निवासी धरमपुरा जगदलपुर
कृषि ग्राम डिमरापाल तहसील तोकापाल
जिला बस्तर छ0ग0

विषय :– रोपित वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

––000––

विषयान्तर्गत आपके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ग्राम डिमरापाल तहसील तोकापाल स्थित भूमि ख0नं0 01 रकबा 0.700 हे0 भूमि पर स्थित कुल 04 नग सागौन वृक्ष के कटाई हेतु अनुमति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ–4–34/सात–1/2021 अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 को छ0ग0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत् दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक केशलूर एवं वन विभाग के अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया।

राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 23.10.2024 को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम डिमरापाल, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं. केशलूर तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित भूमि ख0नं0 1 रकबा 0.70 हे0 भूमि पर स्थित कुल 04 नग सागौन वृक्ष जो वर्तमान में सूख गये हैं, उक्त वृक्ष की कटाई करनें हेतु अनुमति दिये जाने अनुशंसा किया गया है। प्रतिवेदन सह पंचनामा प्रकरण में संलग्न।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ख0नं0 01 रकबा 0.70 हे0 ग्राम डिमरापाल, प0ह0नं0 09, तहसील तोकापाल जिला बस्तर स्थित वृक्ष जिनका प्रजाति सागौन एवं संख्या **04** है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1996 (क्रं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

7/2/25

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तोकापाल
जिला-बस्तर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)
सत्यमेव जयते

पृ0क्रं0 / 169 / अ0वि0अ0(रा0) / 2024–25 तोकापाल दिनांक 06 / 02 / 2025

प्रतिलिपि,

01 कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02 वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03 तहसीलदार तोकापाल को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करनें हेतु प्रेषित।

7/2/25

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
तोकापाल, जिला बस्तर (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तोकापाल
जिला-बस्तर (छ.ग.)